राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 30 सितम्बर, 1982

क्रमांक **1466-ज(I)-82/34457.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा (ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती कमला देवी, विधवा श्री जीया राम, गांव मुंडिया खेड़ा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1446-ज(II)-82/34461.**—श्री चन्द्र सिंह, पुत्र श्री जमना राम, गांव डीघल, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 6 फरवरी, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चन्द्र सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 19948-जे० एन०-III-66/21408, दिनांक 21 अक्तूबर, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चान्दकौर के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1438-ज(I)-82/34465.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती ठाकर कौर, विधवा श्री सेवा सिंह, गांव महलांवाली, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, को रबी, 1981 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1404-ज(I)-82/34469.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री रामजी लाल, पुत्र श्री फूल सिंह, गांव बाल्यावास, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

क्रमांक **1375-ज(I)-82/34473.**—श्री बनी सिंह, पुत्र श्री गनपत सिंह, गांव देवसर, तहसील व जिला भिवानी की दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बनी सिंह को मुबलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1949-ज-I-76/32690, दिनांक 25 अक्तूबर, 1976 तथा अधिसूचना क्रमांक 17089-ज-II-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मूरती देवी के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 1 अक्तूबर, 1982

क्रमांक **1396-ज(I)-82/34641.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती श्योकोरी, विधवा श्री बोदन, गांव सालावास, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ़, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।